सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(3) :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. ब्यावर- अजमेर, पाली एवं भीलवाडा जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला ब्यावर गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय ब्यावर होगा।

नवगठित ब्यावर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
ब्यावर	1.ब्यावर	ब्यावर
	2.टाटगढ़	टाटगढ़
	3.जैतारण	जैतारण
	4.रायपुर	रायपुर
	5.मसूदा	मसूदा
		विजयनगर
	6.बदनोर	बदनोर

2. अजमेर- पुनर्गठित अजमेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अजमेर	1. अजमेर	अजमेर
	2. पुष्कर	पुष्कर
	3. पीसांगन	पीसांगन
	4. नसीराबाद	नसीराबाद
	5. किशनगढ़	किशनगढ़
	6. रूपनगढ	रूपनगढ
	7. अराई	अराई

3. पाली-पुनर्गठित पाली जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
पाली	1. सोजत	सोजत
	2. मारवाड जंक्शन	मारवाड जंक्शन
	3. सुमेरपुर	सुमेरपुर
	4. बाली	बाली
	5. पाली	पाली
	6. रोहट	रोहट
	7. देसूरी	देसूरी
	8. रानी	रानी

4. केकड़ी- अजमेर एवं टोंक जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला केकड़ी गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय केकड़ी होगा।

नवगठित केकड़ी जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
केकडी	1. केकड़ी	केकड़ी
	2. सावर	सावर
	3. भिनाय	भिनाय
	4. सरवाड़	सरवाड़
		टांटोटी
	5. टोडारायसिंह	टोडारायसिंह

5. टोंक- पुनर्गठित टोंक जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी: -

जिला	उपखण्ड	नाम तहसील
टोंक	1. टोंक	टोंक
	2. देवली	देवली
		नगरफोर्ट
		दूनी
	3. निवाई	निवाई
	4. पीपलू	पीपलू
	5. उनियारा	उनियारा
		अलीगढ
	6. मालपुरा	मालपुरा

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।